पूर्ववर्ती सरकार के कार्यों की समीक्षा बैठक में प्रकरणों की स्क्रूटनी नहीं होने पर नाराजगी जताई

- 16 विभागों के प्रकरणों पर हुई चर्चा, 200 प्रकरण हुए चिन्हित, अगली बैठक 20 को होगी
- कमेटी ने पिछले सप्ताह पहली बैठक में 200 प्रकरण चिन्हित कर लिए थे, जिन पर विभागवार समीक्षा होनी है

जयपुर। पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम छह माह के निर्णयों की समीक्षा को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में कमेटी ने प्रकरणों की स्क्रूटनी नहीं होने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को प्रकरणों की स्क्रूटनी का होमवर्क पहले करने के निर्देश दिए गए हैं। कमेटी ने साफ किया कि बैठक में सिर्फ वही मामले लाएं जाएं जिन पर विचार करके निर्णय करने की स्थिति हो।

कमेटी के संयोजक कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में दो घंटे तक हुई इस बैठक में अधिकारियों को मामलों की स्क्रूटनी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। संयोजक गजेंद्र सिंह बताया बताया कि बैठक में डब्ल्यूसीडी, पीडब्ल्यूडी, एसएस, कला संस्कृति और खेल सहित 16 विभागों के प्रकरणों को लेकर विचार किया गया, हालांकि प्रकरणों की स्क्रूटनी नहीं होने से काफी ज्यादा पेचीदगी देखने को मिली।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अगली बार बैठक में आने से पहले प्रकरणों का पूरा होमवर्क करें और स्क्रूटनी करके ही कमेटी के समक्ष रखे ताकि निर्णय लेने में देरी नहीं हो। खींवसर ने कहा कि अगर इस तरह से प्रकरण उलझे हुए आएंगे तो 3 महीने में रिपोर्ट कैसे बनेगी? समय पर रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसके लिए कमेटी के समक्ष उन्हीं प्रकरणों को लाया जाए, जिनकी स्क्रूटनी हो जाए। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री रोहित गोदारा, मंजू बाघमार बैठक में शामिल हुए। साथ ही समीक्षा बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए।

गौरतलब है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ प्रदेश की भजन लाल सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल के अंतिम 6 महीने में लिए गए निर्णयों की समीक्षा को लेकर मंत्री मंडलीय कमेटी बनाई थी। कमेटी ने पिछले सप्ताह पहली बैठक में 200 प्रकरण चिन्हित कर लिए थे, जिन पर विभागवार समीक्षा होनी है, सभी विभागों के प्रकरणों की सूची तैयार की जा रही है। कमेटी साप्ताहिक समीक्षा करके माह डेढ़ माह में रिपोर्ट तैयार करेगी, जो मुख्यमंत्री को देनी है। अगली बैठक 20 फरवरी को होगी।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति का भावभरा स्वागत किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के मंगलवार शाम को जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।

जयपुर, (का.सं.)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अपने राजस्थान प्रवास के पहले दिन मंगलवार शाम को जयपुर पहुंची। राष्ट्रपति के जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भावभरा स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू, दक्षिण-पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमाण्डिंग लेफ्टि. जनरल धीरज सेठ सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

वही बुधवार को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 9:25 जयपुर से रवाना होकर सुबह 10:35 मेंहदीपुर बालाजी दर्शन एवं आरती करेंगे। उसके बाद दोपहर 12 बजे वापस जयपुर पहुचने के बाद दोपहर 1 उदयपुर पहुँचेंगे। दोपहर 2 बजे बेणेश्वर धाम पहुँच हरिमंदिर साबला दर्शन, दोपहर 3:40 लखपति दीदी सम्मेलन बेणेश्वर धाम भाग लेंगे।

भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए संयोजक प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्त किये

- जयपुर लोकसभा के लिए संयोजक एस.एस. अग्रवाल, लोकसभा प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल, सह प्रभारी सतीश चंदेल को बनाया

जयपुर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन भाजपा पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। लगातार बैठकों के बाद पार्टी ने अब पार्टी ने लोकसभा संयोजक, प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी तय कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभी 25 लोकसभा सीटों पर नाम की घोषणा कर दिए हैं।

इनमें गंगानगर-हनुमानगढ़ लोकसभा सीट के लिए संयोजक बालवीर बिश्नोई, लोकसभा प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा और सह प्रभारी अखिलेश प्रताप सिंह को, बीकानेर लोकसभा के लिए संयोजक सत्य प्रकाश आचार्य, लोकसभा प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सह प्रभारी अशोक नागपाल, चूरू लोकसभा के लिए संयोजक ओम प्रकाश सरस्वत, लोकसभा प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, सह प्रभारी रामगोपाल सुथार, झुंझुनू लोकसभा के लिए संयोजक दशरथ सिंह शेखावत, लोकसभा प्रभारी महंत बालक नाथ, सह प्रभारी जितेंद्र शर्मा, सीकर लोकसभा के लिए संयोजक प्रभु सिंह गोगवास, लोकसभा प्रभारी गौतम दक, सह प्रभारी बलराम दून, जयपुर ग्रामीण लोकसभा के लिए संयोजक निर्मल कुमावत, लोकसभा प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, सह प्रभारी विमल अग्रवाल, जयपुर लोकसभा के लिए संयोजक एसएस अग्रवाल, लोकसभा प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल, सह प्रभारी सतीश चंदेल को, अलवर लोकसभा के लिए संयोजक संजय सिंह नरूका, लोकसभा प्रभारी सुरेश रावत, सह प्रभारी लक्ष्मीकांत भारद्वाज को, भरतपुर लोकसभा के लिए संयोजक शैलेंद्र सिंह, लोकसभा प्रभारी संजय शर्मा, सह प्रभारी गोवर्धन जादौन को, करौली-धौलपुर लोकसभा के लिए संयोजक शिवकुमार सैनी, लोकसभा प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, सह प्रभारी प्रेम प्रकाश शर्मा को नियुक्त किया गया है। दौसा लोकसभा के लिए संयोजक सत्यनारायण शहरा, लोकसभा प्रभारी राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सह प्रभारी विष्णु चेतानी को, टोंक-सवाई माधोपुर लोकसभा के लिए संयोजक नरेश बंसल, लोकसभा प्रभारी मंत्री मदन दिलावर, सह प्रभारी शैलेंद्र भार्गव को, अजमेर लोकसभा के लिए संयोजक वीरेंद्र सिंह कानावत, लोकसभा प्रभारी डिप्टी सीएम दीया कुमारी, सह प्रभारी राजेश पाठक को, नागौर लोकसभा के लिए संयोजक रमाकांत शर्मा, लोकसभा प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, सह प्रभारी अशोक सैनी को, पाली लोकसभा के लिए संयोजक लक्ष्मी नारायण देव, लोकसभा प्रभारी जोगेश्वर गर्ग, सह प्रभारी रविंद्र सिंह बालावत को, जोधपुर लोकसभा के लिए संयोजक राजेंद्र कुमार गहलोत, लोकसभा प्रभारी विजय सिंह, सह प्रभारी महेंद्र कुमावत को, बाड़मेर लोकसभा के लिए संयोजक कुमार सिंह सोडा, लोकसभा प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, सह प्रभारी शंकर सिंह राजपुरोहित को, जालौर-सिरोही लोकसभा के लिए संयोजक नारायण सिंह देवल, लोकसभा प्रभारी मंत्री केके बिश्नोई, सह प्रभारी महेंद्र बोहरा को नियुक्ति किया गया है।इसी तरह उदयपुर लोकसभा के लिए संयोजक प्रमोद सांवर, लोकसभा प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा, सह प्रभारी महेश शर्मा को, बांसवाड़ा लोकसभा के लिए संयोजक हरीश पाटीदार, लोकसभा प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सह प्रभारी दिनेश भट्ट को, चित्तौड़ लोकसभा के लिए संयोजक रणजीत सिंह भाटी, लोकसभा प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सह प्रभारी आनंद गर्ग को, राजसमंद लोकसभा के लिए संयोजक हरि सिंह रावत, लोकसभा प्रभारी मंत्री डॉ मंजू बागमार, सह प्रभारी हर्षवर्धन सिंह को, भीलवाड़ा लोकसभा के लिए संयोजक शक्ति सिंह कालियास, लोकसभा प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, सह प्रभारी गजपाल सिंह को, कोटा लोकसभा के लिए संयोजक सुनीता व्यास, लोकसभा प्रभारी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, लोकसभा में प्रभारी शंकर लाल ठांडा को, झालावाड़ लोकसभा के लिए संयोजक छगन माथुर, लोकसभा प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी, सह प्रभारी भारत जैन को जिम्मेदारी दी गई है।

'प्रधानमंत्री का कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा'

जयपुर। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा सम्मिलित हुए। युवा संसद में समान नागरिक संहिता पर चर्चा हुई। जिसमें 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। युवाओं को संबोधित करते हुए सांसद बोहरा ने कहा कि आज पूरे देश में समान नागरिक संहिता की चर्चा है। उत्तराखंड में हाल ही में समान नागरिक संहिता को लागू किया है। देश में सभी नागरिकों के अधिकार समान होने चाहिए। सभी नागरिकों को समान अधिकार न मिलने से देश के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि एक घर में रहने वाले दो व्यक्तियों के लिए अलग-अलग नियम हो तो कैसे चल सकता है। समान नागरिक संहिता किसी धर्म के खिलाफ नहीं है।

उन्होंने कहा कि लोगों में इस बात की भ्रांति है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से उनकी पूजा पद्धति पर, उनकी संस्कृति पर, उनके धर्म पर प्रभाव पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने मां सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण किया

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि 21वीं सदी में ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है, इस मंत्र को अपनाते हुए युवा अपनी पसंद के मुताबिक लक्ष्य तय कर सपनों को साकार करने के लिए कार्य करें।

मुख्यमंत्री शर्मा मंगलवार शाम को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी) में मां सरस्वती की प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा इस देश के विकास के वाहक हैं। भावी इंजीनियर्स बुनियादी ढांचे के बेहतर विकास के लिए जरूरी तकनीकी ज्ञान और नवाचारों से स्वयं को समृद्ध करें ताकि तेजी से बदलती दुनिया में भारत अग्रणी राष्ट्रों में शुमार हो सके। उन्होंने कहा कि आज एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) जैसे नए क्षेत्रों में आजीविका तलाशने का समय है और युवा इस बदलती प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाएं।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने एमएनआईटी परिसर में मां सरस्वती की मूर्ति का अनावरण और स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने विवेकानन्द लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर एमएनआईटी के निदेशक प्रो. एन.पी. पाढ़ी सहित संस्थान के शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

'महिलाओं को लाभ से वंचित नहीं कर सकती राज्य सरकार'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राज्य सरकार अपने वादे से मुकरते हुए आमजन के लिए शुरू की गई किसी योजना को बंद नहीं कर सकती और ना ही महिलाओं को ज्योति योजना के लाभ से वंचित कर सकती है। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे चिकित्सा व स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए जो तीन महीने में उन सभी महिलाओं को ज्योति योजना का लाभ मुहैया कराए, जिनके नसबंदी के समय एक या दो बच्चियां थीं। अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार ज्योति योजना के संबंध में 19 अगस्त 2011 को जारी किए गए परिपत्र के अनुसार ऐसे दावों की छानबीन करते हुए योग्य लोगों को योजना का लाभ दे। वहीं याचिकाकर्ता के मामले में राज्य सरकार को कहा है कि वह उसे ज्योति योजना का लाभ देते हुए उसकी सैकंडरी से जीएनएम कोर्स तक हुई शिक्षा पर खर्च हुई राशि नौ फीसदी ब्याज सहित भुगतान करे। जस्टिस अनूप ढंड ने यह आदेश वंदना की याचिका पर दिए।

याचिका में कहा गया की राज्य सरकार ने 2011 में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसी महिलाओं के लिए ज्योति योजना शुरू की, जिन्होंने एक या दो पुत्रियां होने के बाद नसबंदी करा ली थी। इस योजना के अनुसार ऐसी महिलाओं को पीजी तक निशुल्क शिक्षा सहित एएनएम व जीएनएम के पद पर नियुक्ति में वरीयता भी दी गई। याचिकाकर्ता ने भी 16 जुलाई 2012 को नसबंदी ऑपरेशन कराया और 26 जनवरी 2013 को उसे ज्योति कार्ड जारी किया। उसने दसवीं से जीएनएम तक की शिक्षा प्राप्त की और इस पर खर्चा किया। इस दौरान 2016 में इस योजना को अचानक बंद कर दिया।

कैलेण्डर जारी

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि बोर्ड का परीक्षा कैलेण्डर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। एजाम्स जून से सितंबर के बीच में होंगे।

राजेश निर्वाण बने होमगार्ड डी.जी.

जयपुर। राज्य सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर वरिष्ठ आईपीएस राजेश निर्वाण का तबादला किया है। उन्हें गृह रक्षा विभाग का महानिदेशक एवं कमांडेंट जनरल के पद पर लगाया गया है। फिलहाल वह एपीओ चल रहे थे।

वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से राज्य के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने मंगलवार शाम को ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। महाधिवक्ता ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया।

राजफैड 10 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदेगा

जयपुर, (का.सं.)। प्रबन्ध निदेशक, राजफैड शक्ति सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में 10 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद प्रारंभ की जाएगी। किसानों को 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान होगा। भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य दर 2275 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस सहित भुगतान किया जाएगा।

राठौड़ ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा राजफैड को गेहूं खरीद के लिए 210 केन्द्र आवंटित किये गये हैं। अधिकांश क्रय केन्द्र कोटा संभाग में हैं। क्रय केन्द्रों पर बारदाना भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जाना है। उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा हेल्पलाईन नम्बर 18001806030 स्थापित किया हुआ है एवं राजफैड द्वारा भी समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन खरीद के संबंध में हेल्पलाईन नम्बर 18001806001 स्थापित किया हुआ है। राठौड़ ने बताया कि सभी क्रय केन्द्रों पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने, पोस्टर, बैनर लगाने हेतु भी पाबन्द किया जा चुका है। क्रय केन्द्रों पर किसानों को गेहूँ तुलाई हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधायें यथा छाया-पानी, बिजली, ग्रेडिंग मशीन आदि की सुविधा संबंधित कृषि उपज मन्डी समितियों के माध्यम से उपलब्ध करवाने के प्रयास कर रहे हैं।

व्यापारी से लाखों रुपए लूटने वाली महिला सहित तीन गिरफ्तार

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोमवार को तीन लुटेरों को कानोता से गिरफ्तार किया है।

- पुलिस ने आरोपियों से लूटे हुए 3.70 लाख रुपये बरामद किए

जयपुर। गांधी नगर थाना इलाके में सोमवार दोपहर को स्कूटी सवार एक युवक से बदमाश तीन लाख सत्तर हजार रुपए लूट कर ले जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन लुटेरों को कानोता से गिरफ्तार किया गया है। जिनके पास से पुलिस ने लूटे गए रुपये भी बरामद कर लिए गए है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। गौरतलब है कि पीड़ित ने लूट की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। जिस पर जयपुर सिटी में एक श्रेणी की नाकेबंदी करवाते हुए पुलिस ने तीनों लुटेरों को कानोता के पास बीयर पीते हुए पकड़ा।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व ज्ञानचंद यादव ने बताया कि गांधी नगर थाना इलाके में एक युवक के साथ लूट की वारदात की जानकारी मिली। जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो युवक ने बताया कि उसकी स्कूटी से 3 लाख 70 हजार रुपए लूटे है। इसी दौरान सफेद रंग की शिफ्ट कार में एक युवती और दो युवक आए। उन लोगों ने पहले उस के साथ मारपीट की फिर उसकी स्कूटी की डिग्गी से 3 लाख 70 हजार रुपए लूट के भाग निकले।

लूट की जानकारी के बाद नाकेबंदी कराई गई और जानकारी मिली की वारदात करने वाली कार कानोता इलाके में जंगल में बने एक मकान के पास खड़ी हैं। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची जहां पर बबलू सिंह निवासी बालघाट जिला करौली,सूरज गुर्जर निवासी एमआईए, जिला अलवर और रविना मीणा निवासी मंडावर जिला दौसा बीयर पीते हुए मिले। जिन्हें मौके से डिटेन कर गांधी नगर थाना पुलिस थाने लाकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया।

तीये की बैठक

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी प्रिय पुत्रबधु

श्रीमति भागोती देवी

धर्म पत्नी रामकिशन मीणा (जोहरीलाल) का स्वर्गवास 12.2.24 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 14.2.24 को 2 से 4 बजे निजनिवास नायला रोड़ ग्राम हीरावाला बस्सी मे रखी गई है।

शोकाकुलः घासीलाल, रामधन, लक्ष्मीनारायण, रामनारायण, जगदीश (जग्गू) (ससुर) गोविन्द नारायण, जयराम, सीताराम, छोटुराम (जेठ) जयनारायण (देवर) कालूराम, विकास, सुमित, रोनित (पुत्र) एवं समस्त बडगोती परिवार

मो.- 8440022717, 8955777508

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 150/23

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नाम तारा शंकर शर्मा पुत्र श्री देवकी नन्दन जाति ब्राह्मण

विवाद स्थान 4665, कुन्दीगर भैरू का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर

मृतक श्रीमति अंशु शर्मा की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 27.02.24

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम श्रीमति अंशु शर्मा पत्नी तारा शंकर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 4665, कुन्दीगर भैरू का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 27 माह 02 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 12 माह 01 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर अदालत

आज्ञा से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर-द्वितीय

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 22/2023

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नाम श्री भवानी सिंह मीणा पुत्र स्व.श्री रामेश्वर प्रसाद मीणा जाति मीणा

विवाद स्थान सी 07, आशीष विहार, आर.बी.आई. कॉलोनी, जगतपुरा जयपुर (राज.)

मृतक स्व. रामेश्वर प्रसाद मीणा की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक-........

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम रामेश्वर प्रसाद मीणा पुत्र स्व.श्री नानग्या मीणा उर्फ नानगराम मीणा जाति मीणा निवासी सी 07, आशीष विहार, आर.बी.आई. कॉलोनी, जगतपुरा जयपुर (राज.) का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 22 माह 02 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 12 माह 02 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर

आज्ञा से-शरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या 10,
जयपुर महानगर प्रथम न्यायालय सांगानेर

सम्मन बनाम कायम मुकाम

(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-10 सांगानेर, जयपुर महानगर प्रथम

मंदिर श्री श्यामजी बनाम श्री प्रकाश व अन्य

दावा बाबत-स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर-392/2013

बनामः- मुसम्मी :- CIS 9/2020

(1) 19/6 राधा पुत्री स्व. सीताराम जाति अहीर निवासी ग्राम गुन्दी, तहसील फागी जिला जयपुर-राज.
(2) 22/4 बबू बाई पुत्री स्व. रामस्वरूप जाति बागडा ब्राह्मण निवासी केसरी सिंह पुरा, पोस्ट महलां, जिला जयपुर।
(3) 10/2 नन्दलाल पुत्र चौथमल, जाति ब्राह्मण निवासी मकान नंबर 36 व 37, इंजीनियर कॉलोनी, आम्रपाली, वैशाली नगर, जयपुर।
(4) 10/3 दिनेश पुत्र चौथमल, जाति ब्राह्मण निवासी बागडों का मोहल्ला, बगरू जिला जयपुर हाल निवासी 26-ए, आर.एस.ई.बी. कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर-राज.
(5) 10/4 मुरलीधर पुत्र चौथमल, जाति ब्राह्मण हाल निवासी 26-ए, आरएसईबी कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर।
(6) 10/5 अशोक पुत्र चौथमल, जाति ब्राह्मण निवासी मकान नंबर 36-37, इंजीनियर कॉलोनी, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर हाल निवासी 26-ए, आरएसईबी कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर-राज.
(7) 10/6 भानुप्रकाश पुत्र चौथमल, जाति ब्राह्मण निवासी 36-37, इंजीनियर्स कॉलोनी, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर हाल निवासी 26-ए, आरएसईबी कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर-राज.
(8) 10/7 सुमित्रा पुत्री चौथमल, जाति ब्राह्मण निवासी बागडों का मोहल्ला, बगरू जिला जयपुर हाल निवासी 26-ए, आरएसईबी कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर।
(9) 10/8 पार्वती पुत्री चौथमल, जाति ब्राह्मण निवासी बागडों का मोहल्ला, बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल 26-ए, आरएसईबी कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर।.

चूंकि प्रार्थी ने इस अदालत में तारीख........माह......सन्..... को 1. मंदिर श्री श्यामजी- बनाम- 2. श्री प्रकाश व अन्य दायर की जो कि बाद में फौत हो गया और चूंकि आज मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने को आप मुतवफ्फी (1) स्व. रामस्वरूप (2) स्व. सीताराम (3) स्व. चौथमल मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3. प्रतिवादी संख्या 10/2 लगायत 10/8, 19/6, 22/4 बनाये जावे।

लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाबदेही उपरोक्त पक्षकारान 14 माह 02 सन 2024 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैरहाजरी में सुना व फैसल किया जायेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09-02-2024 को जारी किया गया।

मोहर

सम्मन बनाम कायम मुकाम

(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-10 सांगानेर, जयपुर महानगर प्रथम

मंदिर श्री श्यामजी बनाम श्री प्रकाश व अन्य

दावा बाबत-अस्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर-13/2014

बनामः- मुसम्मी :- CIS 7/2020

(1) 19/6 राधा पुत्री स्व. सीताराम जाति अहीर निवासी ग्राम गुन्दी, तहसील फागी जिला जयपुर-राज.
(2) 22/4 बबू बाई पुत्री स्व. रामस्वरूप जाति बागडा ब्राह्मण निवासी केसरी सिंह पुरा, पोस्ट महलां, जिला जयपुर।
(3) 10/2 नन्दलाल पुत्र चौथमल, जाति ब्राह्मण निवासी मकान नंबर 36 व 37, इंजीनियर कॉलोनी, आम्रपाली, वैशाली नगर, जयपुर।
(4) 10/3 दिनेश पुत्र चौथमल, जाति ब्राह्मण निवासी बागडों का मोहल्ला, बगरू जिला जयपुर हाल निवासी 26-ए, आर.एस.ई.बी. कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर-राज.
(5) 10/4 मुरलीधर पुत्र चौथमल, जाति ब्राह्मण हाल निवासी 26-ए, आरएसईबी कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर।
(6) 10/5 अशोक पुत्र चौथमल, जाति ब्राह्मण निवासी मकान नंबर 36-37, इंजीनियर कॉलोनी, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर हाल निवासी 26-ए, आरएसईबी कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर-राज.
(7) 10/6 भानुप्रकाश पुत्र चौथमल, जाति ब्राह्मण निवासी 36-37, इंजीनियर्स कॉलोनी, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर हाल निवासी 26-ए, आरएसईबी कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर-राज.
(8) 10/7 सुमित्रा पुत्री चौथमल, जाति ब्राह्मण निवासी बागडों का मोहल्ला, बगरू जिला जयपुर हाल निवासी 26-ए, आरएसईबी कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर।
(9) 10/8 पार्वती पुत्री चौथमल, जाति ब्राह्मण निवासी बागडों का मोहल्ला, बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल 26-ए, आरएसईबी कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर।.

चूंकि प्रार्थी ने इस अदालत में तारीख........माह......सन्..... को 1. मंदिर श्री श्यामजी- बनाम- 2. श्री प्रकाश व अन्य दायर की जो कि बाद में फौत हो गया और चूंकि आज मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने को आप मुतवफ्फी (1) स्व. रामस्वरूप (2) स्व. सीताराम (3) स्व. चौथमल मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3. प्रतिवादी संख्या 10/2 लगायत 10/8, 19/6, 22/4 बनाये जावे।

लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाबदेही उपरोक्त पक्षकारान 14 माह 02 सन 2024 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैरहाजरी में सुना व फैसल किया जायेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09-02-2024 को जारी किया गया।

मोहर

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या अंजना बांगड पत्नि स्व. श्री युवराज बांगड, निवासी- सी-70, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर के दो पुत्र पीयूषराज बांगड व यशराज बांगड एवं पुत्री निवेदिता बांगड है। जिनमें उनका बडा पुत्र पीयूषराज उनके कहने में नहीं है तथा उनका सम्मान व देखभाल नहीं करता है, उसका व्यवहार मेरी अभिभाष्या से अच्छा नहीं है तथा वह मेरी अभिभाष्या के साथ भी नहीं रहता है। इस कारण मेरी अभिभाष्या ने अपनी संपत्ति म.न. सी-70, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर से व समस्त चल अचल संपत्ति से पीयूषराज को बेदखल कर दिया है। पीयूषराज के द्वारा किये गये लेन-देन व संव्यवहार की जिम्मेदारी मेरे अभिभाष्य नहीं होगी सूचित रहे। यदि कोई भी व्यक्ति मेरी अभिभाष्या की उक्त संपत्ति सी-70, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर के या अन्य किसी संपत्ति जो मेरी अभिभाष्या की है, उसके संबंध में पीयूषराज से किसी प्रकार का लेन-देन करता है तो उसका जिम्मेवार वह स्वंय रहेगा। भवदीय

(विक्रम वशिष्ठ) एडवोकेट
Off.- 102, Shiv Colony, Hari Marg, Tonk Road, Jaipur

आम सूचना ग्राम-श्रीरामपुरावास, पटवार क्षेत्र-बिन्दायका, भूअभि.नि.क्षेत्र मुण्डियारामसर, तहसील व जिला जयपुर में स्थित विभिन्न कृषि भूमियों खसरा नम्बर 12 से 23 खाता संख्या 10, रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 7 खाता संख्या 35 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 11 खाता संख्या 34 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, एवं ग्राम श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास, पटवार क्षेत्र-भांकरोटा कलां, भू.अभि.नि.क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित विभिन्न कृषि भूमियों खसरा नम्बर 32 से 35, 266 खाता संख्या 112 रकबा 1.9900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 46, 47 खाता संख्या 46 रकबा 2.9400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 खाता संख्या 34 रकबा 0.7400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 45 खाता संख्या 54 रकबा 0.8800 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 38, 40, 65 से 70 खाता संख्या 94 रकबा 4.4100 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 36 खाता तख्या 111 रकबा 0.2400 हैक्टेयर जो शान्ति, देवी प्रकाश, पुरुषोत्तम, शिव शंकर, राजेन्द्र पत्नि व पुत्र स्वर्गीय सीताराम निवासी ग्राम श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर की खातेदारी (हिस्सा) की है को जरिये मुखत्ययार राधामोहन शर्मा पुत्र श्री दुर्गा सहाय, निवासी- महर्षि आश्रम, ग्राम सिरसी, जिला जयपुर द्वारा मेरे अभिभाष्य श्री अरविन्द गोटेवाला पुत्र स्व. श्री श्रीराम गोटेवाला, निवासी बी-7, शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016, को विक्रय करना तय कर अग्रिम प्रतिफल की राशियां समय-समय पर प्राप्त की हुई है एवं मेरे अभिभाष्य को अभी ज्ञात हुआ है कि उक्त व्यक्ति उक्त कृषि सम्पदाओं को मेरे अभिभाष्य से किये गये करार के तथ्यों को छिपाकर अन्य व्यक्तियों, संस्थाओं को विक्रय / हस्तान्तरित करने को प्रयासरत है जो गैर कानूनी है।

अतः हर खास या आम को सूचित किया जाता है कि उक्त कृषि भूमियों के बारे में किसी प्रकार का कोई स्वामित्व अन्तरण सम्बन्धी करार / डवलपमेन्ट करार करने से प्रतिबन्धित रहे अन्यथा मेरे अभिभाष्य के अधिकारों के विरूद्ध किया गया अन्य कोई भी करार शुन्य होगा एवं सम्बन्धित व्यक्ति / संस्था उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(गिरधारी लाल शर्मा) एडवोकेट, मो.9982222408

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 1191/55 रकबा 0.5311 हेक्टेयर वाके ग्राम फुलेरा, पटवार हल्का फुलेरा, भूअनि फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात में मेरे अभिभाष्य प्यारेकिशन शर्मा पुत्र बालकिशन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सा. ए-1 एलबीएस कॉलोनी, बिचून रोड, फुलेरा का 1/2 हिस्सा है और मेरे अभिभाष्य ने उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अपनी ओर से किसी भी व्यक्ति को बेचान के लिए अधिकृत नहीं कर रखा है। उनकी रजिस्ट्री करवाने के लिए मेरा अभिभाष्य जिम्मेदार नहीं है। इसके अलावा मेरे अभिभाष्य ने जिन भूखण्डों की रजिस्ट्री करवायी है उन भूखण्डो को वापिस लेने के लिए तैयार है एवं उनकी प्रतिफल राशि लौटाने के लिए तैयार व तत्पर है। सूचित रहे।

अजय सिंह, एडवोकेट अधि. न्यायालय सांभरलेक एवं राज.उच्च न्यायालय जयपुर 9261460489

आम सूचना यह कि मेरे अभिभाष्य की सगी बहिन स्व. लक्ष्मी मीना पुत्री श्री जीवन मीना की अचल सम्पति आवासीय भूखण्ड वाके क्रिश्चन कॉलोनी, श्याम नगर काचरोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर (राज.) में स्थित है। जिसकी साईज (82'9"+61'2")/2x(46'4"+51'0")/2=390.00 वर्गगज है। जिसका पट्टा क्रमांक 1195 है। जिस पर लक्ष्मी मीना ने भारतीय स्टेट बैंक, शाखा फुलेरा, जिला जयपुर से ऋण ले रखा था। जिनकी दिनांक 10.01.2020 को मृत्यु हो चुकी है, यह कि मेरे अभिभाष्य श्री भोले शंकर मीना पुत्र श्री जीवन मीना निवासी क्रिश्चन कॉलोनी, श्याम नगर काचरोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर (राज.) की बहिन ने अपने जीवन काल में ही उक्त अचल सम्पत्ति का वसीयतनामा दिनांक 15.02.2010 हो निष्पादित कर दिया था। उक्त वसीयतनामा मृतक की अन्तिम वसीयत समझी जायेगी। यदि किसी व्यक्ति या मृतक के विधिक उत्तराधिकारीयो, वारिसों या अन्य रिश्तेदारो को उक्त वसीयत के बारे मे कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस मे मय दस्तावेज मेरे अभिभाष्य से या उक्त बैंक से सम्पर्क करे अन्यथा 7 दिवस पश्चात उक्त सम्पति के मूल दस्तावेज अभिभाष्य श्री भोलेशंकर मीना को वसीयत के आधार पर सुपुर्द कर दिये जायेगें।

गणेश कुमावत, एडवोकेट, शाकम्भरी कन्सल्टेन्सी-सर्विसेज, नगरपालिका के सामने, सांभर रोड, फुलेरा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम रवि कुमार शर्मा पुत्र राम प्रसाद से बदलकर रवि शर्मा पुत्र राम प्रसाद शर्मा रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए। रवि शर्मा जयपुर मो.8502882557

मैं सोयल तिवारी, पत्नी आर्मी नंबर 15177969P. नायक अरुण कुमार तिवारी यूनिट 199 मीडियम रेजिमेंट, मेरे पति के सैन्य दस्तावेज में मेरा नाम सोयल ए तिवारी है जो गलत है, मेरा असली नाम सोयल तिवारी है।

मै रेनू यादव W/o आर्मी नंबर 15150371A हवलदार कृष्णा कुमार यादव यूनिट 199 मीडियम रेजिमेंट मेरे पति के सैन्य दस्तावेज में मेरा नाम रेनू है जो की गलत है। मेरा वास्तविक नाम रेनू यादव सही है

मै जयश्री बापुराव कदम W/o आर्मी नंबर 15213893N हवलदार कदम बापुराव यूनिट 199 मीडियम रेजिमेंट मेरे पति के सैन्य दस्तावेज में मेरा नाम भुजबल जयश्री है जो की गलत है। मेरा वास्तविक नाम जयश्री बापुराव कदम सही है।

मैं वैभव पाण्डेय पुत्र राजेश कुमार पाण्डेय, आर्मी नम्बर 15176697N नायक राजेश कुमार पाण्डेय 199 मीडियम रेजिमेंट, मेरे पिता के सैन्य दस्तावेज में मेरा नाम वैभव पाण्डेय (Vaibhao Pandey) है जो गलत है। मेरा सही नाम (Vaibhav Pandey) है।

मैं प्रियंका पाण्डेय पत्नि राजेश कुमार पाण्डेय, आर्मी नम्बर 15176697N नायक राजेश कुमार पाण्डेय 199 मीडियम रेजिमेंट, मेरे पति के सैन्य दस्तावेज में मेरा नाम प्रियंका चौबे (Priyanka Choube) है जो गलत है। मेरा सही नाम Priyanda Pandey है।

खोया पाया

नेशनल हाउसिंग कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी लि. की आवासीय योजना-योजना संख्या 2 देवरी, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर के भूखण्ड संख्या 44, की सोसायटी द्वारा जारी रसीद कही गुम हो गई है। मिलने पर सूचित करें। -निरंजन कुमार शर्मा - मोबाईल नम्बर 6376916289

आवास संख्या 112/436 मानसरोवर जयपुर का आवंटन पत्र व हैण्डिग ओवर टेकन ओवर पत्र गिर / गुम हो गया मिलने पर सूचित करे। हंसा मो. 9694587715

विक्रय पत्र दिनांक 31/12/2008 चावंड का मढ़ तहसील जमवारामगढ़ जयपुर में रजिस्टर्ड है जिसकी रसीद संख्या 2008001971 यह विक्रय पत्र नारायणी देवी ने मोहन लाल और ताराचंद को सेल डीड कि थी जो कि लुतसी देवी से जमवारामगढ़ से जयपुर के बीच गिर गया है।

तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना -स्कीम न.1 फेज-।।। सेट्रल कॉलोनी के प्लाट नम्बर -9 और 10 रोड न 8 सीकर रोड जयपुर का सोसायटी से जारी साईट प्लान जयपुर में खो गया है सूचित करे -सुरेश चन्द सैनी रामसरूप सैनी श्रीमती चम्पा देवी -8209746324

मेरी शिक्षण संस्थान के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र 627 / 2013-14, विधान नियमावली व अन्तिम कार्यकारिणी की मूल प्रति कहीं गुम हो गई है। किसी को मिले तो सूचित करें। एस.आर. शिक्षण एवं विकास संस्थान कांसल फागी जिला जयपुर। सचिव : श्योराज कुमार 99509 23795

मेरे फ्लेट न. 106 सहयोग अपार्टमेन्ट, टॉवर-2, विधाधर नगर, जयपुर का मूल साइट प्लान रजिस्ट्री दिनांक 07.11.2023 कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें मो. न. 7378158532 कमला देवी